

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या—9 / उपांकीट०अनु०—66 / 2012—(खण्ड—I)  
प्रेषक,

/ कृ०, पटना, दिनांक

2014.

**धर्मेन्द्र सिंह, भांप्र०स०**  
**कृषि निदेशक, बिहार, पटना।**

ब०. पू०  
प्र०. १५५४  
वितरक १०११११६

मेसर्स एफ० एम० सी० इण्डिया प्रा० लि०,  
द्वारा—हरनाथका कारपोरेशन,  
303 बी० सुकृति कम्पलेक्स,  
एस० पी० वर्मा रोड, पटना।

**विषय :—** कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या—58—59, दिनांक 08.10.2012 वैद्यता तिथि 31.12.2014 में इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के तहत निम्नांकित कम्पनीयों के कीटनाशियों का कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या—58—59 दिनांक 08.10.2012 वैद्यता तिथि 31.12.2014 में इन्डोर्समेन्ट किया जाता है।

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	क्र० सं०	कीटनाशी का नाम
1	मेसर्स मॉर्डन पेपर्स, बड़ी ब्राह्मण, जम्मू	1	Imidacloprid 17.8 % SL
		2	Acetamiprid 20% SP
		3	Pretilachlor 50% EC
		4	Buprofezin 25% SC
2	मेसर्स सरस्वती एग्रो केमिकल्स इण्डिया प्रा० लि०, बड़ी ब्राह्मण, जम्मू	1	Pretilachlor 50% EC
		2	Tebuconazole 25.9% EC
		3	Propineb 70% WP
3	मेसर्स इन्डोफील इन्डस्ट्रीज लि०, पिरांगट, मुलशी, पूणे	1	Hexaconazole 4%+Zineb 68% WP
4	मेसर्स बी० आर० एग्रोटेक लि०, कढुआ, जम्मू	1	Chlorpyriphos 20% EC
		2	Chlorpyrifos 50% EC
5	मेसर्स धानुका एग्रीटेक लि०, गुड़गाँव, हरियाणा	1	Clomazone 50% EC
6	मेसर्स सरस्वती एग्रो केमिकल्स (इण्डिया) प्रा० लि०, मोहाली, पंजाब	1	Cartap Hydrochloride 4% G.R.
		2	Hexaconazole 5 % EC
7	मेसर्स, वेनटेक केमिकल्स लि०, मेढ़क (आन्ध्र प्रदेश)	1	Bifenthrin 10% EC
		2	Bifenthrin 25% EC
		3	Carbosulfan 25% EC
		4	Carbofuran 3% CG

2—उपरोक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा— मेसर्स एफ० एम० सी० इण्डिया प्रा० लि०, H/O अरविन्द कुमार, S/O रामबृक्ष प्रसाद यादव, बड़ी पहाड़ी, पटना गया रोड, बाईपास रोड, पटना—20

3—यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण तक 1980 अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5—भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6—अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7—नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8—अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्री प्रतिनिधि एवं बिक्रीता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ५७५५

/कृ०, पटना, दिनांक ०५-११-२०१४

प्रतिलिपि— (1) संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक कृषि निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप्र कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।